

## फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- ..... सहायक कलक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

प्रार्थीया :- शारदा मेघवाल दत्तक पुत्री अर्जुन राम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी पायली तहसील मौलासर जिला  
डीडवाना-कुचामन

बनाम्

अप्रार्थीगण :- अर्जुनराम पुत्र भूराराम जाति भाम्बी निवासीगण पायली तहसील मौलासर जिला  
डीडवाना-कुचामन वगै.

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 64 /2024 सन्-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
02.05.2024	<p>प्रार्थीया शारदा मेघवाल दत्तक पुत्री अर्जुन राम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी पायली तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अर्जुनराम पुत्र भूराराम जाति भाम्बी निवासीगण पायली तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन वगै.के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर वकील प्रार्थी श्री समंदरसिंह नाथावत के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद पायली पटवार हल्का सुद्रासन के खसरा संख्या 530, 531, 532, 533 भूमि का विक्रय/ हस्तानान्तरण नहीं करेंगे तथा रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उच्च एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नहीं रहेगा।</li> <li>प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</li> <li>अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.06.2024 को पेश हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;">wkeas सहायक कलक्टर डीडवाना डीडवाना</p> <p>18/6/24 वकील प्रार्थी (इ.प.) लालिती सिवाट अष्टाला। पत्रावली वालते तामिली अन्तिमर डेड दिनांक 18/6/2024 को पेश हो। wkeas उपखण्ड आधिकारी डीडवाना</p>	



